



डिजिटल क्रांति एवं सामाजिक परिवर्तन

डॉ. रामफूल जाट

सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एस.पी.एन.के.एस. राजकीय महाविद्यालय, दौसा, राजस्थान, भारत

सारांश

डिजिटल क्रांति को तीसरी औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। कम्प्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी के अन्य पहलुओं को अपनाने से मानव अपने पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यह बदल गया है और परिवर्तन आज भी जारी है। 19वीं सदी के अन्त में चार्ल्स बेवेज द्वारा विश्लेषणात्मक इंजन (आधुनिक कम्प्यूटर का अग्रदूत) और साथ ही टेलीग्राफ के आविष्कार ने डिजिटल क्रांति को गति दी थी। पर्सनल कम्प्यूटर का आविष्कार हुआ तो डिजिटल आर्थिक कारणों से व्यावहारिक होने लगा। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, सब कुछ परिवर्तनशील है इसलिए समाज भी बिना परिवर्तन के गतिशीलता संभव नहीं है और न बिना गतिशीलता के समाज का अस्तित्व। सर्वप्रथम आगस्त कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन का उल्लेख किया इसे उन्होंने सामाजिक गतिकी कहा था। सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स माना जाता है। गिडिन्स ने सामाजिक परिवर्तन के अन्तर्गत भौगोलिक स्थितियां, प्रौद्योगिकी, औद्योगीकरण, संचार के साधन, ज्ञान-विज्ञान आदि के कारण समाज में आने वाले परिवर्तनों को रखा है। प्रस्तुत शोध पत्र में पारदर्शी, सरल और सुलभ प्रशासन के संदर्भ में डिजिटल क्रांति का प्रभाव एवं इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव को जानने का प्रयास है।

कूटशब्द: डिजिटल क्रांति, सामाजिक परिवर्तन, प्रशासन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सूचना प्रौद्योगिकी

प्रस्तावना

19वीं सदी के अंत में चार्ल्स बेवेज द्वारा विश्लेषणात्मक इंजन (आधुनिक कम्प्यूटर का अग्रदूत) के साथ टेलीग्राफ के आविष्कार ने डिजिटल क्रांति को गति प्रदान की। जब पर्सनल कम्प्यूटर का आविष्कार हुआ तो डिजिटल संचार आर्थिक कारणों से व्यावहारिक होने लगा। जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। भारत विश्व के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजारों में से एक है। डिजिटल क्रांति परम्परागत सामाजिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में कदम है।

पारदर्शी, सरल और सुलभ प्रशासन किसी भी समाज, प्रदेश या राष्ट्र के संरचनात्मक विकास को नए स्तर पर ले जा सकता है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में यदि प्रशासन की पहुंच प्रत्येक नागरिक तक समान रूप से हो जाए और अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति भी संरचनात्मक सामाजिक सुविधाओं का लाभ सुगमता के साथ उठा सके, तो सामाजिक परिवर्तन की एक सकारात्मक तस्वीर सामने आ सकती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी इतनी सक्षम है कि यह नागरिकों को घर बैठे ही सभी सूचनाएं उपलब्ध करा सकती है और उन्हें उनका अधिकार दिलवा सकती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी की इस शक्ति से सामाजिक जीवन को उन्नत और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने संपूर्ण भारत को डिजिटल करने वाली नई क्रांति का सूत्रपात किया है। समाज के डिजिटल सशक्तीकरण के द्वारा तैयार होने वाली ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप देश का विकास इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम से यह अपेक्षा की जा रही है कि नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं की पहुंच मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से रीयल टाइम में सुनिश्चित की जा सकेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य फोकस सरकारी गतिविधियों से आमजन के जुड़ाव का सशक्तीकरण करना और पारदर्शी तथा जनसहभागिता वाले प्रशासन को नया आयाम देना है।

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में इंटरनेट ने आमजन को जागरूक

करने की दिशा में एक सेतु के रूप में काम किया है। नब्बे के दशक में भारत में अपनी दस्तक देने वाली वैश्विक इंटरनेट क्रांति को 'डिजिटल इंडिया' की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। 15 अगस्त, 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) के माध्यम से पहली बार इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की गईं और इसकी सफलता यह रही कि अगले छह महीने में ही 10 हजार से अधिक लोग इस माध्यम से जुड़ गए। अगले एक दशक में यह अपने पंख इसलिए नहीं पसार सका, क्योंकि उस वक्त नैरोबैंड कनेक्शन के जरिए डायल-अप से इंटरनेट सुविधाएं मिलती थीं और इसकी गति कम थी। वर्ष 2004 में देश में ब्रॉडबैंड नीति बनाई, जिसके तहत एक न्यूनतम डाउनलोड गति का निर्धारण किया गया। इसके बाद 56 किलोबाइट प्रति सेकंड की न्यूनतम गति से चलने वाला इंटरनेट 256 किलोबाइट प्रति सेकंड की न्यूनतम गति से दौड़ने लगा। इस बदलाव से देश में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार हुआ और वर्ष 2010 में 3जी तथा उसके पश्चात् 4जी सेवाओं ने देश के आमजन तक इंटरनेट सेवाओं की आसान पहुंच को सुनिश्चित किया। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 के अंत तक देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है और उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में देश दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है।

कभी तारों के सहारे अंतिम छोर तक पहुंचने वाला इंटरनेट कनेक्शन आज उपभोक्ताओं को बेतार माध्यम से मिल रहा है। स्मार्टफोन की पहुंच अब ग्रामीण उपभोक्ताओं तक होने लगी है और वे भी आसानी से इंटरनेट सुविधाओं के साथ जुड़ गए हैं। 28 फरवरी, 2015 तक के आंकड़ों को देखा जाए, तो देश में कुल मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या 96 करोड़ से अधिक है। कुल जनसंख्या के हिसाब से यह आंकड़ा 77.58 प्रतिशत है और इस आधार पर भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। यदि स्मार्टफोन की बात की जाए, तो वर्ष 2013 में गूगल के 'आवर मोबाइल प्लेनेट' ने स्मार्टफोन की पहुंच को लेकर विभिन्न देशों की एक सूची जारी की थी, जिसमें भारत 16.8 प्रतिशत के साथ 45वें स्थान पर था। इसके पश्चात् देश में

स्मार्टफोन क्रांति ने नया स्वरूप लिया। सही मायने में 'डिजिटल इंडिया' के उद्देश्यों की पूर्ति इसी क्रांति के माध्यम से हो सकती है। प्रधानमंत्री ने अनेक अवसरों पर कहा भी है कि जो स्मार्टफोन आपके हाथ में है, वह बड़ा शक्तिशाली है। उन्होंने नागरिकों से इसकी ताकत को पहचानने का आह्वान किया है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इसके तहत प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगी सेवा मुहैया कराने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया जाएगा। ऐसी बुनियादी सेवाओं के बूते देश ज्ञान के एक ऐसे भविष्य की ओर उन्मुख होगा, जहां प्रशासन और सेवा हर मांग पर उपलब्ध होगी। ऐसे में प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता का सवाल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भ्रष्टाचार को मिटाना भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम मुद्दा है। इसी सोच के साथ आधार कार्ड को भी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। आधार कार्ड प्रत्येक नागरिक को 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या उपलब्ध कराता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते को निर्धारित करती है। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवनभर की पहचान है। आधार संख्या से उन्हें बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और सरकारी व गैर-सरकारी सेवाओं की सुविधाएं प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। यह सरल ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य है। 'डिजिटल इंडिया' तकनीक आधारित क्रांति पर भरोसा करता है और तकनीक की वजह से अब प्रत्येक क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता में बढ़ोतरी हुई है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 'पहल' योजना के तहत गैस सब्सिडी जैसे अनुदान सीधे ही उपभोक्ता के बैंक खाते तक पहुंच रहे हैं। आधार संख्या की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र के साथ ही विभिन्न राज्यों की सरकारों का प्रयास है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपभोक्ताओं को सीधे ही मिले और राशि सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचे। इसमें उपभोक्ता की पहचान को सुनिश्चित करने में आधार संख्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत ई-लॉकर व अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी आधार संख्या का होना आवश्यक है। ऐसे में आधार संख्या डिजिटल इंडिया की संकल्पना को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। जो सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

गत वर्ष अगस्त में लागू की गई 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' का प्रमुख उद्देश्य भारत के नागरिकों को बुनियादी वित्तीय सेवाएं जैसे बैंक खाते और डेबिट कार्ड मुहैया कराना है। वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना आर्थिक – निरंतरता बढ़ाने और आम जन को वित्तीय सेवाएं जैसे बैंक जमा खाते, कर्ज और बीमा प्रदान करने के लिए एक साधन के तौर पर तैयार की गई। यदि इसकी मूल भावना को देखा जाए, तो यह भी डिजिटल इंडिया के मूल लक्ष्यों का पूरा करती दिखाई देती है।

'मेरा खाता-भाग्य विधाता' के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई इस योजना में भारतीय समाज में निम्न गरीब वर्ग के लिए सब्सिडी सुरक्षित करना, ओवरड्राफ्ट सुविधा ' और पेंशन योजना दीर्घकालिक लक्ष्यों में न शामिल है। यह योजना सरकारी कार्यालयों में किसी भी रूप में मौजूद भ्रष्टाचार से लड़ने के एक हथियार के तौर पर उपयोग के लिए बनी है। भारत की अधिकतर आम जन के बैंक खाते होने पर सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जा सकेगी, जिससे भ्रष्टाचार के मामलों को नियन्त्रित किया जा सकेगा। इस प्रकार देखा जाए, तो यह योजना 'डिजिटल इंडिया' के सवर्ण को साकार करने में सहयोगी है। 'डिजिटल इंडिया' के तहत अर्थव्यवस्था तेजी से 'कैशलेस' हो जाएगी और आशातीत सामाजिक परिवर्तन दिखाई देगा।

इस तरह की योजनाओं के पीछे केंद्र सरकार की सोच यह है कि व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का सीधा फायदा आम जनता तक पहुंचे और साथ ही तकनीक के प्रयोग से ऐसा वातावरण तैयार हो सके, जो आमजन तक प्रशासन की पहुंच को सुनिश्चित करे। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को मजबूत और अधिक बनाने में इस तरह की योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा।

एक लाख 13 हजार करोड़ रूपए के इस महत्वाकांक्षी 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम से किस तरह के सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इसके परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त करेंगे, यह बात निश्चित रूप से कह सकते हैं। इस कार्यक्रम के तीन प्रमुख पहलू हैं— प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधा के रूप में बुनियादी ढांचा, जैसे पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, मोबाइल सेवाओं का विस्तार और मोबाइल से वित्तीय समावेशन। दूसरा प्रशासन एवं इसकी सेवाओं को आम जन के द्वार तक पहुंचाना जिससे उन्हें लंबी कतारों, भ्रष्टाचार और मजदूरी के नुकसान से निजात मिल सके और तीसरा, प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम जन का सशक्तीकरण करना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल का विकास, साथ ही कंप्यूटर और मोबाइल पर भारतीय भाषाओं में काम करने को और अधिक आसान बनाना।

इस कार्यक्रम के तहत ढाई लाख पंचायतों समेत छह लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री की सोच यह भी है कि भारतीय किसानों को आईटी क्षेत्र से लाभ मिलना चाहिए। उनका कहना है कि कृषि उत्पादन, मृदा संबंधी विवरण और बिक्री मूल्य का विश्व की कीमतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, इन तीनों को एकसाथ जोड़ देना चाहिए। अगर हमारे पास बोंग गए बीज संबंधी विवरण होगा तो हम उत्पादन का स्वरूप का पता लगा सकते हैं।

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत भारत में सरकारी कर्मचारियों के तकनीकी रूप से उन्नयन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस कार्यक्रम के तहत हर रिकॉर्ड को सहेजने के लिए डेटाबेस में हरेक विवरण रखना आवश्यक हो जाएगा, जिससे प्रदर्शन, सुरक्षा और रखरखाव को बेहतर किया जा सके। इस कार्यक्रम के गति पकड़ने से सभी विद्यालयों में सेंट्रल सर्वर की राह भी खुलेगी, जो सभी प्रकार की ई-प्रशिक्षण सामग्री से परिपूर्ण सेंट्रल क्लाउड से जुड़ा होगा। इसके अतिरिक्त समाज का हर क्षेत्र इस क्रांति से सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और समाज में व्यापक सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेगा

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के नौ प्रमुख स्तंभों की बात की जाए, तो इनमें ब्रॉडबैंड हाइवेज सबसे प्रमुख है। सामान्य तौर पर ब्रॉडबैंड का मतलब दूरसंचार से है, जिसमें सूचना के संचार के लिए आवृत्तियों के व्यापक बैंड उपलब्ध होते हैं। इस कारण सूचना को कई गुणा तक बढ़ाया जा सकता है और जुड़े हुए सभी बैंड को विभिन्न आवृत्तियों या चैनलों के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से एक निर्दिष्ट समय सीमा में वृहत्तर सूचनाओं को प्रेषित किया जा सकता है। ब्रॉडबैंड हाइवे निर्माण से अगले तीन वर्षों के भीतर देशभर की ढाई लाख पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा और लोगों को सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम की सफलता इस तथ्य में निहित है कि भारतीय ग्रामीण जनसंख्या भी इस तरह की सेवाओं का सम्पूर्ण लाभ ले सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देश के 55,000 गांवों में अगले पांच वर्षों के भीतर मोबाइल संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 करोड़ के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन फंड (यूसओएफ) का गठन किया गया है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल में आसानी होगी।

कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि भविष्य में सभी सरकारी विभागों तक आम जन की पहुंच बढ़ाई जाएगी। पोस्ट ऑफिस के लिए यह दीर्घावधि विजन वाला कार्यक्रम हो सकता है। इस प्रोग्राम के तहत पोस्ट ऑफिस को मल्टी-सर्विस सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। नागरिकों तक सेवाएं मुहैया कराने के लिए यहां अनेक प्रकार की गतिविधियों को चलाया जाएगा।

प्रौद्योगिकी के जरिए प्रशासन को जवाबदेह और संवेदनशील बनाने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के ट्रांजेक्शंस में सुधार – किया जाएगा। विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग और आवेदनों को ऑनलाइन ट्रैक किया – जाएगा। इसके अलावा, स्कूल प्रमाण पत्रों, वोटर आइडी कार्ड्स का जरूरत के अनुसार ऑनलाइन प्रयोग किया जा सकेगा।

यह कार्यक्रम सेवाओं और मंचों के एकीकरण – आधार संख्या, पेमेंट गेटवे (बिलों के भुगतान) आदि में मददगार साबित होगा। साथ ही सभी प्रकार के डाटाबेस और – सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा ई-एजुकेशन के तहत सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने, ढाई लाख स्कूलों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराने और डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम की योजना है। किसानों के लिए रीयल टाइम कीमत की सूचना, नकदी, कर्ज, राहत भुगतान, मोबाइल बैंकिंग आदि की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना भी इस कार्यक्रम में उद्देश्यों में शामिल है।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑनलाइन मेडिकल सलाह, रिकॉर्ड और संबंधित दवाओं की आपूर्ति समेत मरीजों की सूचना से जुड़े एक्सचेंज की स्थापना करते हुए लोगों को ई-हेल्थकेयर की सुविधा देना भी इस कार्यक्रम का एक स्तंभ है। न्याय के क्षेत्र में ई-कोर्ट, ई-पुलिस, ई-जेल, ई-प्रॉसिक्यूशन की सुविधा, वित्तीय इंतजाम के तहत मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो-एटीएम प्रोग्राम आदि भी इसके अंतर्गत चलाए जाने हैं।

इस कार्यक्रम के तहत सूचना और दस्तावेज तक ऑनलाइन पहुंच भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए ओपन डाटा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आम जन सूचना तक आसानी से पहुंच सकेंगे। नागरिकों तक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार सोशल मीडिया और वेब आधारित मंचों पर सक्रिय रहेगी। साथ ही, आम जन और सरकार के बीच दोतरफा संवाद की व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

'डिजिटल इंडिया' के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी सभी वस्तुओं/उपकरणों का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इसके तहत 'नेट जीरो इंपोर्ट्स' का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि 2020 तक आयात के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इसके लिए आर्थिक नीतियों में संबंधित परिवर्तन भी किए जाएंगे। फ़ैब-लेस डिजाइन, सेट टॉप बॉक्स, वीसेट, मोबाइल, उपभोक्ता और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, स्मार्ट कार्ड्स, माइक्रो-एटीएम आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

देशभर में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार से रोजगार के अधिकांश प्रारूपों में इसका प्रयोग बढ़ रहा है। इसलिए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत इस प्रौद्योगिकी के अनुरूप कार्यबल तैयार करने को प्राथमिकता दी जाएगी। कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रमों को इस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाएगा। साथ ही संचार सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियों ग्रामीण कार्यबल को उनकी अपनी जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित करेंगी। गांवों व छोटे शहरों में नागरिकों को आईटी से जुड़े रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आईटी सेवाओं से जुड़े व्यवसाय के लिए नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए पहले

कुछ बुनियादी ढांचा बनाना होगा यानी इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी। साथ ही, इसके लिए कुशल श्रम शक्ति की भी जरूरत होगी जिसे तैयार करना होगा। इसे अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स के अंतर्गत स्थान दिया गया है।

जब भी किसी क्रांति का सूत्रपात होता है, तो इसकी सफलता की राह में कई चुनौतियां भी होती हैं। 'डिजिटल इंडिया' की राह में भी कुछ चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ी चुनौती कुशल मानव संसाधन की कमी की होगी। देश में जितना कुशल मानव श्रम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नियोजित है, उसे कई गुणा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था भी देश के सामने किसी चुनौती से कम नहीं। नेसकॉम के मुखिया आर चंद्रशेखर का कहना है कि देश की सभी ढाई लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आ सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से प्रभावित हो सकती है। तीसरी बड़ी चुनौती विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय की है। केंद्र सरकार का दावा है कि इतने व्यापक पैमाने पर इससे विशाल कार्यक्रम पहले कभी नहीं चलाया गया। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग एक-दूसरे के सहयोगी और सहभागी हैं और उन्हें आपसी समन्वय कर इसे कार्यक्रम को सफलता के शिखर पर पहुंचाना होगा। यह कार्य मुश्किल अवश्य है, लेकिन नामुमकिन नहीं।

निष्कर्ष

किसी भी राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए अति आवश्यक है कि ऐसी कोई भी सामाजिक उत्थान की योजना समाज के निर्बल और अपवर्जित, पिछड़े वर्गों के लोगों की आशाओं को उड़ान दे, ज्ञानवर्धन और प्रतिभा-कौशल के विकास के अवसर दे, जिससे वे अपने जीवनस्तर को बेहतर करने में सक्षम बनें और देश के विकास का हिस्सा बनें। यदि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और पात्रता के अनुसार लाभ बिना किसी भेदभाव, भ्रष्टाचार या मनमानी, भाई भतीजावाद के प्राप्त हो, तो आदर्श राष्ट्र की स्थिति दिखाई देगी। सरकारी तंत्र की जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम निश्चित तौर पर वर्तमान समय की जरूरतों और दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए विशाल स्तर पर तैयार किया गया संतुलित कार्यक्रम है, जो दीर्घावधि में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में उन्मुख होगा। यह कार्यक्रम आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक प्रयास होगा, जहां सरकार और उसकी सेवाएं आम जन के दरवाजे पर उपलब्ध हों और लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव की दिशा में योगदान करें। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता को प्रयोग कर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस कार्यक्रम से भारत के पारिवारिक सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के आमूल चूल परिवर्तन आयेगा।

सन्दर्भ

1. Singh Manish: Sociology Golden Pheasant Publication, New Delhi 2010.
2. Sursh K. Chouhan, T.A.V. Murthy. "Digital divide and India" (PDF). Shodhganga@ INFLIBNET Centre. p. 384. Retrieved 20 June 2012.
3. <http://www.trai.gov.in/WriteReadData/Recommendation/Documents/Rcommendation81210.pdf>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_smartphone_penetration
5. pib.nic.in/archieve/others/2014/aug/d2014082010.pptx
6. <http://www.ndtv.com/india-news/india-to-connect-2-5-lakh-panchayats-through-broadband-582902>